न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2015/21

1. सीताराम शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर
2. मुरारीलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर
3. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर
4. मनोज शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी गौतम भवन शिल्प कॉलोनी तेजाजी मन्दिर के पिदे, झोटवाडा रोड जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी गौतम भवन, शिल्प कॉलोनी तेजाजी मन्दिर के पिछे, झोटवाडा रोड जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वाद पत्र बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक: 21.09.2021**

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण और प्रतिवादी संख्या एक आपस में भाई बन्द है। तथा वाकै ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के मूल निवासी है और काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

रामकिशोर (फौत)

प्रहलाद | सीताराम | [illegible] | ओमप्रकाश | मनोज

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण और प्रतिवादी संख्या एक [illegible] व उपयोग–उपभोग की संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि [illegible] नंबर 1649 रकबा 0.43 है0, 1651 रकबा 0.01 है0, 1652 रकबा 0.45 है0, [illegible] रकबा 1.48 है0, कुल [illegible] कुल

23 सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

रकबा 2.37 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 श्री रामकिशोर ने हिस्सा 1/4 दिनांक 21.10.1978 को संयुक्त हिन्दु परिवार के धन से क्रय कर उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या एक जेष्ठ पुत्र के नाम से विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। वादीगण उस समय नाबालिक थे तथा संयुक्त रूप से अविभाजित हिन्दु परिवार में रहते थे। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात पर संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण कृषि काश्त करते आ रहे थे तथा उसकी मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक अपने हिस्से अनुसार मनबट के आधार बंटवारा कर कृषि काश्त करते आ रहे है। तथा आज भी मौके पर काबिज है। इस कारण उक्त आराजीयात में वादी संख्या एक लगायत चार का हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी संख्या पांच का हिस्सा 1/20 निहित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक अपने पिता के जीवनकाल में ही विवादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवारा कर वादीगण को 1/5 हिस्सा सम्भलवा रखा था। जिस पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या एक से कई बार कहते रहे है कि हमारे हिस्से की कृषि भूमि को हमारे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाओ परन्तु प्रतिवादी संख्या एक वादीगण को कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा है तथा कहता रहा है कि आपको उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है और जल्द ही मै उक्त भूमि को आपके नाम से करवा दुगां। दिनांक 13.12.2019 को प्रतिवादी संख्या एक वादीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि पर आया और वादीगण से कहा कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम से अंकित है। इसलिए यह भूमि मेरी स्वयं की है। जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नही है। तुम उक्त भूमि को जल्द से जल्द खाली कर दो नही तो जबरियां बेदखल कर कब्जा लेकर अन्य को उक्त भूमि का बेचान करूगां इस कारण वादीगण को यह वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि – संयुक्त हिन्दु परिवार की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1649 रकबा 0.43 है0, [illegible] रकबा 0.01 है0, 1652 रकबा 0.45 है0, 1659 रकबा 1.48 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या एक के 1/4 हिस्से में 4/5 यानि कुल में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण को 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या एक को 1/20 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

(23)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉड में अंकित किया जावें। और उसी अनुसार लगांन निर्धारण किया जावें। प्रतिवादी संख्या एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त आराजीयात में वादीगण के हिस्से की घोषणा नही हो जाती है तब तक प्रतिवादी संख्या एक उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र, इकरारनामा, इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से तस्दीक नही करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रतिवादी संख्या 2 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द फरमाया जावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी संवत् 2075–2078 ग्राम दहमीकलां की प्रतिलिपि, बहि–खाता की फोटो प्रति संलग्न की है जो शामिल पत्रावली हैं

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महावीर प्रसाद अधिवक्ता उपस्थित आयें। विचाराधीन वाद में उभयपक्ष स्वयं उपस्थित आये और राजीनाम प्रस्तुत किया। प्रस्तुत राजीनामें में अंकित है कि – वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1649 रकबा 0.43 है0, 1651 रकबा 0.01 है0, 1652 रकबा 0.45 है0, 1659 रकबा 1.48 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्से मेरे नाम से है परन्तु उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति होने के कारण उक्त कृषि भूमि में मेरा हिस्सा 1/4 में से 1/5 है तथा शेष हिस्सा मेरे सगे भाईयों वादीगणों का है। इस प्रकार मेरा हिस्सा 1/20, वादी संख्या एक का हिस्सा 1/20, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/20, वादी संख्या 3 का हिस्सा 1/20, वादी संख्या चार का हिस्सा 1/20 दर हिस्सा 1/4 होना चाहिए। उक्त राजीनामा उक्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति होने के कारण लोक अदालत की भावना से तथा हम भाईयो मे आपस में प्रेम बना रहे। इस कारण मान्य न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा हूं। उक्त भूमि पर हमस ब भाईयो का हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त बददस्तुर है। अतः राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के अनुसार वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष दे दिया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत राजीनामें को तस्दीक करवाया गया। वादीगण की पहचान वकील वादीगण ने की व प्रतिवादी की पहचान वकील प्रतिवादी ने की। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रस्तुत राजीनामा अवलोकन किया गया। जबकि उभयपक्ष स्वयं ही राजीनामा अनुसार

(3)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वाद में निर्णय हेतु सहमत है तो वाद में मुताबिक राजीनामा निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1649 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 1651 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 1652 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 1659 रकबा 1.48 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/20 हिस्से, वादी संख्या 3 को 1/20 हिस्से, वादी संख्या 4 को 1/20 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनाम इस निर्णय का अभिन्न जूज रहेगा। इस आशय की डिक्री व तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब

इजलास **श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)**

सीताराम शर्मा

बनाम

प्रहलाद वगै.

वाद पत्र बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/90

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती सुमन देवी व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1649 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 1651 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 1652 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 1659 रकबा 1.48 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/20 हिस्से, वादी संख्या 3 को 1/20 हिस्से, वादी संख्या 4 को 1/20 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनाम इस निर्णय का अभिन्न जूज रहेगा।इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

निज ....×........... मुबलिग ....×........... बाबत् ....×...........

...×... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ....×........... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....×........... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.09.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner